समाचार.प्रकाषनार्थरू.

निगम भवन पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया करेंगे ध्वजारोहण

रतलाम 25 जनवरी । 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर निगम भवन पर आज प्रातः 7ण्30 बजे निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ध्वजारोहण करेंगे। निगम भवन पर प्रातः 7ण्30 पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम मे निगम अधिकारीए कर्मचारी आदि मौजूद रहंेगे।

नगर निगम के विभिन्न करों से 15ण्53 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 25 जनवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 25 जनवरी मंगलवार को कुल राषि रूपये 15ए53ए697ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।
नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 25 जनवरी मंगलवार को संपत्तिकर षिविर से 126000ए कार्यालय 257160ए वसूली दल 423789 कुल 806949ए जलकर षिविर 34760ए कार्यालय 342940ए वसूली दल 95510 कुल 470210ए लायसेंस फीस 1505ए विकास षाखा लीजरेंट 85454ए कम्पाउडिंग 82887ए गंदगी करने पर स्पॉट फाईन 9300ए बगैर मास्क वालो पर स्पॉट फाईन 2300 इस तरह कुल राषि रूपये 15ए53ए697ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

योगमय यज्ञमय भक्तिमय जीवन आनंद की अनुभूति लिए
आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं
रतलाम 25 जनवरी । जन.जन हर भारतीय नागरिक राष्ट्र वंदना से ओत.प्रोत देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध हरा.भरा हों रतलाम हमारा नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ

झारिया व उपायुक्त श्री विकास सोलंकी के मार्गदर्शन में 25 जनवरी मंगलवार को प्रातः 08ः15 बजे गुलाब चक्कर पुराने कलेक्टोरेट परिसर रतलाम क्रीड़ा भारती जिला अध्यक्ष गोपाल मुजावदिया मण्प्रण्जन अभियान परिषद् जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय योग गुरु बंशीलाल मजावदिया प्रकाश चन्द्र बिलाला के आतिथ्य में पतंजलि युवा भारत जिला प्रभारी रतलाम मण्प्रण्पश्चिम विशाल कुमार वर्मा जिला यज्ञ प्रभारी पं संजय शिवशंकर दवे द्वारा योगमय यज्ञमय रतलाम की और प्रयत्नशील रहकर भक्तिमय अष्टांग योग सूर्य नमस्कार कर महायज्ञ में आहूति देकर वातावरण शुद्धिकरण कर प्रकृति पर्यावरण संरक्षण संवर्धन संकल्प दिलाया

बांसुरी वादक नितिन सिंह सुरम्य मुरली बजाकर मंत्रमुग्ध कर भावेश परिहार ने भक्ति गीत.संगीत के साथ सोशल मीडिया प्रभारी नितेंद्र आचार्य ने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण पीण सिंह ने नगर वासियों को योग से निरोग स्वास्थ्य से समृद्धि की और सभी एक क़दम बढ़ाए तभी हम स्वच्छ स्वस्थ हरा.भरा रतलाम नंबर एक बना पाएंगे

सूर्य नमस्कार महायज्ञ कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन से ईश्वरी शर्मा युनुस कुरैशी युवा टीम मौजूद रहे ईशा नैमानी ने रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश लिए जन जागृति अभियान से जोड़ने का प्रयास किया आभार व्यक्त नवीन नैमानी ने माना

26 जनवरी गंणतंत्र दिवस पर पषु वध करनाए मटन विक्रय प्रतिबंधित

रतलाम 25 जनवरी । मध्यप्रदेष षासन के आदेषानुसार आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर नगर सीमा में स्थित समस्त पषु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पषुवध करनाए मटनए गौषत विक्रय करना अथवा बेचना निशेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देषित किया है कि उक्त दिवसों को पषु वध करते या मटन गौष्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

गंदगी करने पर 4 दुकानें 24 घन्टे के लिये सील

नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 25 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 25 जनवरी को 4 दुकानदारों द्वारा गंदगी करने पर 24 घन्टे लिये दुकानें सील कर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गंदगी करने पर राजभोग रेस्टोरेंट कस्तुरबा नगरए अपना होटल अलकापुरीए मौर्य होटलए षर्मा होटल पावर हाउस रोड मण्डी गेट के पास को 24 घन्टे के लिए सील किया गया। इसके अलावा बबीता त्रिवेणी रोडए किषोर त्रिपोलिया गेट पर 500.500ए जय बजरंग धानमण्डी पर 250 व लालचन्द पर 200 रूपये का जुर्माना किया गया।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए श्री किरण चौहान मोण्नंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोण्नंण 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण्नंण 7000128812ए आकाष षिन्दे मोण्नंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोण्नंण 6268449110ए राकेष ललावत मोण्नंण 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

अवैध नल विच्छेद व बकाया वसूली की कार्यवाही निरंतर जारी

सुदामा परिसर से 6 अवैध कनेक्षन विच्छेद

95 हजार की राषि बकाया के रूप में वसूली

रतलाम 25 जनवरी । अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राषि वसूलने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है जिसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध नल विच्छेदन की कार्यवाही के तहत सुदामा परिसर से 6 अवैध नल कनेक्षन विच्छेद किये गये साथ ही विभिन्न वार्डो में जलकर की बकाया वसूली करते हुए 95ए510ध् की राषि वसूली।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ षेख के निर्देषन में कार्यवाही करते हुए अवैध नल विच्छेदन की कार्यवाही के तहत सुदामा परिसर से 6 अवैध नल कनेक्षन विच्छेद किये गये इसके अलावा बकाया जलकर वसूली की कार्यवाही के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 12 में 20ए750ध्ए वार्ड क्रमांक 13 से 25 में 14ए120ध्ए वार्ड क्रमांक 26 से 37 में 46ए200ध् व वार्ड क्रमांक 38 से 49 में 14ए440ध् इस तरह कुल राषि रूपये 95ए510ध् की बकाया राषि वसूली।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ षेख के निर्देषन में उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैय्यालाल चौधरीए केमिस्ट श्री नीरज यादव व श्री जितेन्द्र सिसोदिया द्वारा की गई।

रामगढ़ में गुरूवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 54ण्27 लाख व जलकर 11ण्58 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 25 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रु. व जलकर 54ए850रु.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रु. व जलकर 34ए520रु.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013रु. व जलकर 63ए450रु.ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292रु. व जलकर 1ए19ए720रु.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857रु. व जलकर 62ए950रु.ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977रु. व जलकर 28ए870रु.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000रु. व जलकर 14ए000रु.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600रु. व जलकर 1ए04ए640रु.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206रु. व जलकर 1ए21ए090रु.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000रु. व जलकर 47ए000रु.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422रु. व जलकर 83ए700रु.ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500रु. व जलकर 27ए540रु.ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281रु. व जलकर 40ए240रु.ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000रु. व जलकर 31ए760रु.ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077रु. व जलकर 72ए440रु.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534रु. व जलकर 37ए465रु.ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732रु. व जलकर 36ए660रु.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455रु. व जलकर 92ए125रु.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298रु. व जलकर 64ए770रु. की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान कराना होगा रजिस्ट्रेषन

2 से अधिक ष्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम 25 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं उन्हे अब अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जा ा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हे ेतु प्रतिवर्श 100ध् रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

8534 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 25 जनवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 25 जनवरी मंगलवार तक 8534 पं ेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 85ण्34 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

25 जनवरी को 83 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 25 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 25 जनवरी मंगलवार को 83 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

25 जनवरी मंगलवार को डम्पर से 27700ए टेªक्टर से 17430ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 18225 व काम्पेक्टर गीला कचरा 19860 इस तरह कुल 83215 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2751 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 25 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2560 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 191 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 101 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 25 जनवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्‌वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्‌वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 25 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्25ण्01ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण